कार्यालय पुलिस अधीक्षक जीआरपी (उत्तर) जोधपुर

क्रमांकः- न-5( ) जोध-फोर्स/जीआरपी/2019/ 2105-2127 दिनांक :- 28/5/21

नियुक्ति आदेश

श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती, राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक न-5 (02) पु.फो. / कानि0भर्ती / 2019 / 1602 दिनांक 04.09.2019 एवं 33 दिनांक 18.01.2020 की पालना में जिला जी.आर.पी. (उत्तर) जोधपुर में कानिस्टेबल भर्ती 2019 हेतु विज्ञापित पदों की दिनांक 06, 07 एवं 08.11.2020 को हुई लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक न-5(64) पु.फोर्स / कानि. भर्ती-19 / 20 / 391 दिनांक 01.04.2021 द्वारा गठित चयन मण्डल कानि. भर्ती 2019 बोर्ड द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रावधानुसार दिनांक 06.04.2021 को द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा ली जाकर नियमानुसार एवं निर्देशानुसार योग्य अभ्यर्थियो की तैयार की गई संयुक्त चयन सूची/समग्र वरियता सूची अनुसार चयन किया गया है।

चयनित निम्न अभ्यर्थियों का कानिस्टेवल भर्ती 2019 हेतु जारी विज्ञप्ति एवं स्थाई आदेश संख्या 14/2019 दिनांक 06.11.2019 एवं 15/2019 दिनांक 20.05.2020 में निहित निर्देश एवं प्रावधानुसार मेडिकल वोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाने पर पुलिस सेवा हेतु फिट पाये गये, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका/प्रमाण पत्रों तथा जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्रों, विशेष योग्यता के तहत एनसीसी प्रमाण पत्र के सत्यापन में सही एवं सत्य पाये जाने तथा अभ्यर्थियों के निवास स्थान से संवंधित जिला पुलिस अधीक्षक से वेरिफिकेशन तस्दीक कराये जाने पर राज्य सेवा हेतु पात्रता रखने पर राज्य सरकार की अधिसूचना सं. स.7 (2) डीओपी/ए-11/2005 दि. 20.01.2006 के तहत 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कानिस्टेवल सामान्य के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के नियम-16 में अंकित अनुसूची 04 के अनुसार पारिश्रमिक भत्ता (Fix Remuneration) रूपये 14600/- (अक्षरे चौदह हजार छः सौ) प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-7 (1) कार्मिक/ क-2/95/पार्ट दि. 13.8.2004 के अनुसार दिनांक 1.6.2002 के पश्चात 2 बच्चों से अधिक वच्चे नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प-7 (3) कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार चयनित अभ्यर्थी विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में प्रपत्र 6 में अंकित शपथ पत्र देगा तथा श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक न-5 (6) पुलिस-फोर्स/कानि./2009 /3896 दि.15.07.2009 के अनुसार जिन चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर 3 माह से अधिक का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, ऐसे राज्य कर्मचारी से राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट 18 ब में दिये गये प्रपत्र में बंध पत्र देना होगा :-

क. स.	रोल नम्वर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	अभ्यर्थी स्थायी पता	जन्म तिथि	शिक्षा	चयन वर्ग	जाति	ऊचाई से.मी.	सीना बिना फुलाये	सीना से.मी/ वजन	विशेष योग्यता	चयन सू.क.	बैल्ट नं.
1	619300161	श्री लक्ष्मण राम	श्री रूपाराम	सिंवरो की ढाणी, सिरमण्डी, तह./पुलिस थाना औंसिया-जिला जोधपुर	24-12-1995	एम.ए	OBC	जाट	175.4	93.3	100.5	NCC "C" RKCL	1	125
2	619301548	श्री वनवारी लाल	श्री वावूराम	मटोलचक, ढढ्, खारा, तह./पुलिस थाना फलोदी -जिला जोधपुर	15-07-1997	12वीं	OBC	विश्नोई	182.4	82.5	93.6	-	2	130
3	619302411	श्री राहुल कुमार मीणा	श्री जगदीशप्रसाद मीणा	ग्राम रोयल, तह./पुलिस थाना खण्डेला, जिला सीकर	15-06-1996	12वीं	ST	मीणा	172.2	89.4	94.8	NCC "C"	3	140
4	619301890	श्री कल्याणराम	श्री शेपाराम	देवासियो की ढाणी, खेजडलारोड, तिलवासनी, तह. पीपाडसिटी, पुलिस थाना बिलाडा, जिला जोधपुर	12-01-1997	बी.एससी	MBC	देवासी	172.7	81.2	87.1	RKCL	4	184
5	619294433	श्री शेरसिंह मीणा	श्री ताराचंद मीणा	गावं हल्दीना, तह./पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर	15-07-1994	बी.ए.	ST	मीणा	177.2	89.2	98.7	RKCL	6	236
6	619147067	श्री प्रेमप्रकाश	श्री खेताराम	गांव-रामसरिया, वायतू भोपजी, तह./पु.थाना वायतू-जिला वाडमेर	25-12-1998	12वीं	MBC	देवासी	178	87.6	93.6	-	7	241
7	619222729	श्री कंवराज सिह	श्री देवी सिंह	तेजमालपुरा, सरदारसिंह की ढाणी, पुलिस थाना भणियाणा, जिला जैसलमेर	12-07-1999	12वीं	EWS	राजपूत	169.6	81	86.6	RKCL	8	250
8	619147830	सुश्री प्रियंका	श्री पुनमाराम विश्नोई	गुणेशानियों की ढाणी, पुलिस थाना धोरीमन्ना, जिला वाडमेर	10-08-1997	बी.ए.	OBC	विश्नोई	156.6	-	58 वजन	RKCL	9	278
9	619197656	श्री राधामोहन मीणा	श्री जगदीशप्रसाद मीणा	ग्राम अरणिया, पोस्ट लाखेर,तह. आमेर, पुलिस थाना चण्डवाजी, जिला जयपुर	04-05-1996	एम.कॉम	ST	मीना	171.1	82.7	87.9	RKCL	10	311
10	619300609	सुश्री विनोद देवी	श्री भँवरलाल	ग्राम सोवनिया, जाटो का वास, तह. पीपाडशहर पु.थाना वोरून्दा- जिला जोधपुर	05-06-1999	बी.एससी	OBC	जाट	162.6	-	54 वजन	RKCL	11	313
11	619300574	श्री खुशालाराम	श्री दपाराम	आसरलाई, तह./पुलिस थाना देचू, जिला जोधपुर	16-01-1999	12वीं	ST	भील	168	81.6	87.7	RKCL	12	341

क. स.	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	अभ्यर्थी स्थायी पता	जन्म तिथि	शिक्षा	चयन वर्ग	जाति	ऊचाई से.मी.	सीना बिना फुलाये	सीना से.मी/ वजन	विशेष योग्यता	चयन सू.क.	बैल्ट नं.
12	619370059	सुश्री मैना	श्री पप्पुराम	ग्राम नारवा कल्ला, तह./पुलिस थाना खीवसर , जिला नागौर	12-01-2001	बी.एससी	OBC	जाट	161.6	-	54 वजन	RKCL	13	361
13	619296034	श्री नितेश कुमार मीना	श्री रामफूल मीना	ग्राम रामपुरा, पोस्ट-गाढरवाला गुजरान, वाया कुण्डल, तह. वसवा, पुलिस थाना कोलवा, जिला दौसा	05-07-1995	12वी	ST	मीना	168.3	82.3	89.1	RKCL	14	364
14	619301439	सुश्री पिस्ता	श्री पूनमचंद	ग्राम नोखडा गोदारा, तह. फलोदी, पुलिस थाना भोजासर, जिला जोधपुर	28-01-2001	12वी	OBC	विश्नोई	161.8	-	59 वजन	-	15	365
15	619299191	श्री विक्रम गौड़	श्री रामचन्द्र गौड़	8मील वारली मण्डावता, मण्डोर, पुलिस थाना मण्डोर, जिला जोधपुर।	15-08-1999	12वी	EWS	ब्राम्हण	168.3	81.3	87.1	RKCL	16	376
16	619198392	श्री नारायण मीना	श्री मल्लाराम मीना	गांव-पोस्ट कुंजेला, तह./पुलिस थाना नाढौती, जिला करौली	20-05-1998	बी.ए.	ST	मीना	175.2	81.3	88.7	RKCL	18	383
17	619197444	श्री कानाराम मीणा	श्री गोपाललाल मीणा	गांव काकरेल, पोस्ट खोरामीणा, तह. /पुलिस थाना आमेर, जिला जयपुर	05-05-1995	बी.ए.	ST	मीणा	173.6	84.8	91.7	RKCL	19	395
18	619302468	श्री मनीप मीणा	श्री महेश कुमार मीणा	गांव-पोस्ट चोकडी, तह./पुलिस थाना खण्डेला, जिला सीकर	05-04-1998	बी.ए.	ST	मीणा	173.2	85.3	90.7	RKCL	20	396
19	619295964	श्री महेन्द्र मीना	श्री लोहडी राम मीना	ग्राम मटवास, पोस्ट वनियाना, तह./पुलिस थाना लवाण, जिला दौसा	25-05-1999	12वी	ST	मीना	170.1	87.8	94.2	-	21	410
20	619297209	श्री भागीरथ भू.पू.सै.	श्री बुधाराम	गांव-पोस्ट खेडीसालवा, तह.पीपाडशहर, पु.थाना डागियावास, जिला जोधपुर।	15-07-1984	बी.ए	OBC	जाट	175.5	98.9	105	-	23	404
21	619232370	श्री लोकेन्द्रसिंह शेखावत	श्री प्रतापसिंह शेखावत	1399-गुरूद्वारा की पिछली गली, वार्ड नं. 08, तिलक नगर, पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर	13-02-1999	बी.ए.	EWS	राजपूत	178.4	88.4	95.8	RKCL	24	410
22	619198340	सुश्री विनीता मीना	श्री भीमसिंह मीना	गांव सिकन्दरपुर, पोस्ट मण्डावरा, तह./पु. थाना हिण्डोन, जिला करौली	03-02-1998	12वी	ST	मीना	162	-	48 वजन	RKCL	25	414

क्र.स.	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	अभ्यर्थी स्थायी पता	जन्म तिथि	शिक्षा	चयन वर्ग	जाति	ऊचाई से.मी.	सीना बिना फुलाये	सीना से.मी/ वजन	विशेष योग्यता	चयन सू.क्र.	बैल्ट नं.
23	619235866	श्रीमती रेखा मीना	श्री तुलसीराम मीना	गांव रिजोदा, पोस्ट पांचला, तह. उनियारा, पु.थाना अलीगढ,जिला टोंक	11-04-1992	बी.ए.	ST	मीना	154.8	-	50 वजन	-	35	416
24	619298390	श्री परसाराम भू.पू.सै.	श्री चिमना राम	ग्राम बुरछा, पोस्ट बागोरिया, तह./पु.थाना भोपालगढ, जिला जोधपुर	05-05-1982	12वीं	OBC	जाट	174.9	95.1	100.8	-	37	421

परीविक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक एवं संतोपजनक रूप से उतीर्ण किये जाने पर कानिस्टेवल सामान्य के पद पर स्थाई किया जायेगा। तत्पश्चात् इन्हें नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के तहत वेतन-भत्ते देय होगे तथा राज्य सरकार के वित्त विभाग रूल्स डिवीजन की अधिसूचना कमांक एफ 15 (7) एफडी (नियम) /97 जयपुर, 14.01.2004 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 04 के अनुसार 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्ति पर अशंदायी पेंशन नियम लागू होगे एवं सेवानिवृत पश्चात् पेंशन देय नहीं होगी। परीविक्षाधीन अवधि में फिक्स मानदेय देय होगा। नियुक्त किये गये सभी अभ्यर्थी जीआरपी लाईन दईजर, जोधपुर में दिनांक ......5.6.21...................... को सायं 05.00 बजे तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति देंगे, अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा। इनकी वरिष्ठता मूल चयन सूची के अनुसार रहेगी। यह नियुक्ति आदेश उपरोक्त सभी कानिस्टेवल सामान्य के पद पर चयनित सभी अभ्यर्थियों पर निम्न शर्तो के अध्यधीन होगी :-

1 उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश मे अंकित तिथि तक संचित निरीक्षक जीआरपी लाईन जोधपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देनी होगी।

2 इनकी सेवाऐं 2 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि मे होगी तथा परिवीक्षाकाल में इनकी सेवाऐं असंतोपजनक पाई जाने की स्थिति में इनकी सेवाऐं विना पूर्व नोटिस के समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

3 उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों पर राजस्थान सेवा नियम 1951,राजस्थान सेवा आचरण नियम 1971, राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1968, राजस्थान पुलिस सवोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1989 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले नियम एवं आदेश लागू होंगे।

4 प्रोबेशनर प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत अवधि में इन्हे प्रति माह 14600/-रूपये नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) का भुगतान किया जायेगा। प्रोबेशनर ट्रेनिंग के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर इनका स्थाईकरण किया जाकर वेतन निर्धारण वित (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10. 2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कानिस्टेवल की पे-मेट्रिक्स लेवल-05 में नियमानुसार देय भतों पर किया जायेगा तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में इनको वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।

5 प्रोवेशनर ट्रेनिंग की अवधि वार्षिक ग्रेड इन्क्रीमेंट हेतु गणना योग्य नहीं होगी।

6 प्रोवेशनर प्रशिक्षणार्थी अवधि के दौरान नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) के अलावा इन्हें विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ती भत्ता या ऐसे अन्य कोई भत्ते देय नही होगे।

7 प्रोवेशनर अवधि के दौरान तदर्थ बोनस का भुगतान देय नहीं होगा।

8 प्रोवेशनर अवधि में नियत मानदेय से नियमानुसार एन.पी.एस. की कटौति की जावेगी।

9 प्रोवेशनर अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष मे केवल 12 आकस्मिक एवं 13 क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा तथा एक वर्ष की कम की अवधि के लिए अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा, इसके अलावा और किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

10 दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी समय दो से अधिक बच्चे होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

11 उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों पर राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के प्रावधान लागू नही होंगे।

12 यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/ परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी।

13 अभ्यर्थियों के जोईनिंग किये जाने हेतु जोधपुर आने पर किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा।

14 सेवा के दौरान कभी भी उक्त आवेदक के विरूद्ध दो से अधिक संतान होने, विवाह में दहेज प्राप्त करने तथा एक से अधिक पति / पत्नि रखने तथा आपराधिक प्रकरण प्रकाश में आने पर इन्हें विना नोटिस तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। न्यायालय में कोई वाद / विवाद अपील दायर कर रखी हो तो न्यायालय का निर्णय नियुक्ति आदेश को प्रभावित करेगा एवं न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

15 महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के पत्रांक न-5 (33) पु.फोर्स / कानि.भर्ती-19 / 21 / 423 दिनांक 09.04.2021 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से इस आश्य का शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरांत कि **''अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक, जाति, मूल, चरित्र सत्यापन इत्यादि प्रमाण पत्रों में असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा''** की शर्त के अध्ययधीन रहेगा।

16 चयनित अभ्यार्थी नियुक्ति पर ज्वाईनिंग करने से पूर्व कोविड -19 की जॉच करवा कर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही जी.आर.पी. लाईन जोधपुर में अपनी उपस्थिति देगें।

ईओवी ....153..../ 2021
28/5/21

(राशि डोगरा डूडी)
पुलिस अधीक्षक
जीआरपी (उत्तर) जोधपुर

CONST. 2019

प्रतिलिपी निम्नांकित को सादर सूचनार्थ :-

1 श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस रेल्वेज / भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड / प्रशिक्षण राज. जयपुर।
2 महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राज. जयपुर।
3 उप / सहायक महानिरीक्षक पुलिस, प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।
4 पुलिस अधीक्षक जिला जोधपुर ग्रामीण / अलवर / जैसलमेर / बाडमेर / जयपुर ग्रामीण / नागौर / दौसा / करौली / सीकर / बीकानेर / टोंक / पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर को जरिये ई मेल भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो आपके जिलो में निवासरत है को समय पर पुलिस लाईन जी.आर.पी. दईजर जोधपुर में उपस्थिति देने हेतु सूचित कर पांवद कर इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करावे।

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ, एवं पालनार्थ :-

1. संचित निरीक्षक जीआरपी लाईन जोधपुर को निम्नानुसार कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट (72 घण्टे से पूर्व की नही हो) मय **शपथ पत्र, घोषण पत्र एवं बंध पत्र** प्रस्तुत करने पर ही इनकी ज्वाईनिंग स्वीकार करें, अन्यथा रिपोर्ट के अभाव में ड्यूटी ज्वाईन नही करवाई जावें तथा अभ्यर्थियों की उपस्थिति की पालना रिपोर्ट मय रोजनामचा रपट के इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही :-

- ➢ नव नियुक्त कानि. रिकुटों को उनके काम में आने वाले वर्दी के आईटम्स नियमानुसार उपलब्ध कराये जावे।
- ➢ नव नियुक्त कानि. रिकुटस को प्रशिक्षण संस्थान में मैस एडवांस राशि अपने साथ ले जाने हेतु निर्देशित किया जावे।
- ➢ अभ्यर्थी के विवाहित होने पर दहेज नही लेने का निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा एवं अविवाहित होने पर भविष्य में विवाह करने पर दहेज नहीं लेने का निर्धारित प्रारूप में **शपथ पत्र** प्रस्तुत करेगा।
- ➢ अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र कमांक प-7 (1) कार्मिक/ क-2/95/पार्ट दिनांक13.8.2004 के अनुसार दिनांक 1.6.2002 के पश्चात 2 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं है, का **शपथ पत्र** प्रस्तुत करेगा।
- ➢ कार्मिक (क-2) विभाग का परिपत्र कमांक प-7(3) कामि/क-2/2006 दि. 30.06.2006 के अनुसार चयनित अभ्यर्थी विवाहित होने को स्थिति में विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नही होने की स्थिति में प्रपत्र 6 में अंकित **शपथ पत्र** प्रस्तुत करेगा।
- ➢ अभ्यर्थी गुटका-तम्बाकु सेवन एवं धुम्रपान नही करने का **घोषणा पत्र** प्रस्तुत करेगा।
- ➢ महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राज. के परिपत्र कमांक न-5 (6) पुलिस-फोर्स/कानि./2009/3896 दिनांक 15.07.2009 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पर 3 माह से अधिक का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है, ऐसे राज्य कर्मचारी से राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट 18 - व में दिये गये **प्रपत्र बंध पत्र** की पूर्ति अथार्त रू 100/- के नॉन ज्यडिशियल स्टाम्प वॉण्ड (ईकरारनामा) भरकर प्रस्तुत करेगें जिसमें विभाग में प्रशिक्षण अवधि समाप्त की दिनांक से 02 वर्ष की सेवा करना

अनिवार्य होने तथा प्रशिक्षण के दौरान सेवा से त्याग पत्र देने अथवा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण खर्च की राशि व प्राप्त किये गये वेतन को राजकोष में जमा करवाने बावत सहमति (अण्डरटेकिग) मय दो जामिन अंकित होगा के करवाकर प्रस्तुत करेंगें।

2. प्रभारी गोपनीय शाखा / लेखाशाखा / सामान्य शाखा कार्यालय हाजा / कन्ट्रोल रूम जीआरपी जोधपुर।
3. श्री...(सम्बन्धित अभ्यर्थी) को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि जीआरपी लाईन जोधपुर में उपस्थिति के दौरान 02 पासपोर्ट साईज फोटो, कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता शुल्क 2600/- मय मैस एडवांस राशि 3500/- एवं उपरोक्त समस्त **शपथ पत्र, घोषण पत्र एवं बन्ध पत्र सहित उपस्थिति देगें।**
4. ई.ओ.वी./निजी पत्रावली

पुलिस अधीक्षक
जीआरपी (उत्तर) जोधपुर